UPKS010009292026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थित : जे0पी0यादव (एच.जे.एस.)–UP 6551

दाण्डिक निगरानी सं0–35/2026

सुनीता देवी पत्नी पृथ्वीपाल निवासिनी ग्राम अढौली, पोस्ट कुम्हियावॉ, थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी। .....निगरानीकर्ती।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य।
2. मधुदेवी पुत्री इन्द्रपाल
3. अजमेर सिंह पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण अढौली, थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी।
4. धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम रक्सवारा, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी। .....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस.
थाना–महेवाघाट, जनपद–कौशाम्बी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी परिवाद सं0–228/2025 सुनीता देवी बनाम मधुदेवी आदि, थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी के मामलें में विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 20.02.2026 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती द्वारा दायर की गयी है।

2. उक्त आलोच्य आदेश जिन परिस्थितियों में पारित किया गया उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सुनीतादेवी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 दिनांक 26.04.2025 को विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2025 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और मामला परिवाद सं0–228/2025 सुनीतादेवी बनाम मधुदेवी आदि के रूप में दर्ज किया। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 तथा गवाहान पी0डब्लू0–1 के रूप में कमलेश कुमार एवं पी0डब्लू0–2 के रूप में अवलेश का बयान अंतर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया। दिनांक 20.02.2026 को विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 एवं गवाहों के बयान अतर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया। इस प्रकार उक्त तिथि को प्रश्नगत आदेश विद्वान सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित किया गया।

3. मैंने निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा विपक्षी सं0–2 लगायत 4 के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने सिविल प्रकृति को आधार मान करके विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत् आदेश पारित किया है, जोकि न्यायसंगत नहीं है। अवर न्यायालय के समक्ष उसने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि उसके गांव की महिला पूजा सिंह पुत्री इन्द्रपाल जो कि एक निहायत ही फरेबी किस्म की महिला है, जो अपना नाम बदल बदल कर लोगों को परेशान करती है तथा अवैध कार्य करती है। विपक्षिनी का नाम मधु सिंह जो कि हाईस्कूल के गजट में, वोटर सूची में, मतदाता सेवा पोर्टल में व परिवार रजिस्टर में मधु देवी पुत्री इन्द्रपाल है किन्तु उसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड पूजादेवी पुत्री इन्द्रपाल के नाम से बनवाकर फर्जी कार्य करती है, शासन के मंशा के विरूद्ध कार्य करती है। विपक्षिनी ने इसी फर्जी कृत्य के आधार पर दिनांक 07.03.2025 को उसके पति पृथ्वीपाल से उनके हिस्से की भूमि को फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बैनामा करवा लिया। जब इस फर्जी कृत्य की जानकारी उसको चली तो उसने दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 08 बजे शाम विपक्षिनी के घर उलाहना देने गयी और कहा कि आपने फर्जी तरीके से बैनामा क्यों करवा लिया है तो विपक्षिनी उसको गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगी तथा कहने लगी कि मैने बैनामा करवा लिया है तुझे जो करना हो कर लेना। तमाम लोगों के आने व बीच बचाव करने पर विपक्षिनी जान से मारने की धमकी देते हुए चली गयी। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय सिर्फ सिविल मामलें को ही आधार मान करके आलोच्य आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय सिर्फ विपक्षीगण के सम्बन्ध में ही अपना मन्तव्य व्यक्त किया है, उसके कथनो की अनदेखी करके प्रश्नगत् आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जानी चाहिये और पुनरीक्षण खारिज किया जाना चाहिये।

6. विपक्षी सं0–2 लगायत 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित आपत्ति 10क प्रस्तुत करते हुए दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही प्रश्नगत् आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया जो वास्तव में सिविल प्रकृति का है तथा प्रश्नगत् आदेश न्यायसंगत है। पूजा सिंह का सही नाम हाईस्कूल अंकपत्र में पूजासिंह अंकित है तथा हाईस्कूल प्रवेश पत्र 2019 में पूजासिंह पुत्री इन्द्रपाल अंकित है। वादिनी स्वयं फरेबी किस्म की महिला है और गलत तरीके से उनको फंसाना चाहती है। अवर

न्यायालय का आदेश तर्कसंगत व न्यायसंगत है। बैनामा दिनांक 07.03.2025 सही व विधिसंगत है। बैनामे के बाद किसी तरह की कोई गाली गलौज व मारपीट नहीं हुई है। केवल ईर्ष्यावश निगरानीकर्ती उनको झूँठे मुकदमा में फंसाना चाहती है। दाण्डिक निगरानी में वर्णित दिनांक 15.04.2025 की घटना पूर्णतः कपोल कल्पित है, किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। वादिनी द्वारा प्रेषित दाण्डिक निगरानी असत्य विधि विरूद्ध व निराधार है तथा मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। अतः विद्वान् अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुये पुनरीक्षण खारिज की जानी चाहिए।

7. अब यदि प्रश्नगत् आदेश का विश्लेषण निगरानी याचिका में वर्णित आधारों, निगरानी पर हुयी बहस एवं विधि के आलोक में करें तो प्रश्नगत् आदेश पारित करते हुये विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह वर्णित किया है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी सं0–1 मधुदेवी ने फर्जी तरीके से उसके पति के हिस्से की जमीन अपने नाम करवा ली है। परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है कि खेत मेरे आदमी के नाम पर थी। पति ने अपनी खेत मधु और पूजा के नाम पर बेचा है। बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। परिवादिनी उक्त बैनामा के निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण हेतु वाद दाखिल कर सकती है। अतः उपरोक्त आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका तथा विपक्षीगण के मध्य सिविल प्रकृति का विवाद है एवं विपक्षीगण के ऊपर लगाये गये धमकी दिये जाने के आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मेरे विचार में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

8. निश्चित रूप से अवर न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–203 में निहित विधिक प्रावधानों को देखते हुए विधिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है। क्योंकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–203 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त आधार (Sufficient ground) से तात्पर्य यह है कि–

The Words " Sufficient ground " have been construed to mean the satisfaction that prima facie case is made out against the person accused by the evidence of witnesses entitled to reasonable degree of credit and not Sufficient ground of conviction. The purpose of the section is to ascertain whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process. (S.W. Palanitkar Vs. State of Bihar, A.I.R. 2001 SC 2960). ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Bhushan Kumar Vs. State NCT of Delhi, AIR 2012 SC 1747 एवं Nupur Talwar Vs. CBI, AIR 2012 SC 1921 के मामलों में भी अवधारित किया गया है। इसी प्रकार यदि अवर न्यायालय द्वारा साक्षियों

की विश्वसनीयता के बारे में निष्कर्ष देते हुए यदि परिवाद निरस्त किया जाता है तो ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। क्योंकि इस स्तर पर साक्ष्यों के Meticulous (सूक्ष्म) निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है और आरोपों की सत्यता के बाबत भी निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसा महेन्द्र सा बनाम स्टेट आफ झारखण्ड, 2003(1) जे.एल.जे.आर. 427 (झारखण्ड) एवं Gambhirsinh R. Dekare Vs. Fhalgunbhai Chimanbhai Patel. AIR 2013 SC 1590 के मामलों में अवधारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 के स्थान पर धारा–226 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में समाहित किया गया है और उसमें भी (**Sufficient ground**) शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में पारित विधिक सिद्धान्तों को धारा–226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सन्दर्भ में भी लागू किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यदि प्रश्नगत् आदेश को देखें तो प्रश्नगत् आदेश विधि एंव तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। क्योकि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.02.2026 में यह निष्कर्ष दिया है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी सं0–1 मधुदेवी ने फर्जी तरीके से उसके पति के हिस्से की जमीन अपने नाम करवा ली है। परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है कि खेत मेरे आदमी के नाम पर थी। पति ने अपनी खेत मधु और पूजा के नाम पर बेचा है। बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। परिवादिनी उक्त बैनामा के निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण हेतु वाद दाखिल कर सकती है। अतः उपरोक्त आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका तथा विपक्षीगण के मध्य सिविल प्रकृति का विवाद है एवं विपक्षीगण के ऊपर लगाये गये धमकी दिये जाने के आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मेरे विचार में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया है। जो कि निश्चय ही उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि निगरानीकर्ती सूफिया बेगम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस./परिवाद में कथन किया है कि विपक्षिणी का नाम मधु सिंह जो कि हाईस्कूल के गजट में तथा वोटर सूची में मतदाता सेवा पोर्टल में, वोटरलिस्ट व परिवार रजिस्टर में मधुदेवी पुत्री इन्द्रपाल है। किन्तु उसने फर्जी तरीके से आधारकार्ड पूजादेवी पुत्री इन्द्रपाल के नाम से बनवा करके फर्जी कार्य करती है। विपक्षिणी ने इसी फर्जी कृत्य के आधार पर दिनांक 07.03.2025 को प्रार्थिनी के पति पृथ्वीपाल से उनके हिस्से की भूमि को फर्जी आधारकार्ड बनवाकर बैनामा करवा लिया जब इस फर्जी कृत्य की जानकारी प्रार्थिनी को चली तो प्रार्थिनी ने दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 08 बजे शाम विपक्षिणी के घर उलाहना देने गयी और कहा कि आपने फर्जी तरीके से

बैनामा क्यो करवा लिया है तो विपक्षिणी प्रार्थिनी को गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगी और कहने लगी कि मैने बैनामा करवा लिया है तुझे जो करना हो कर लेना तमाम लोगों के आने व बीच बचाव करने पर विपक्षिणी जान से मारने की धमकी देते हुए चली गयी। परिवाद कथानक के समर्थन में आवेदिका द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में भी यह कथन किया गया है कि मधु मेरे सगे जेठ की लड़की है। परिवार में बंटवारा हो गया है। मेरे जेठ का नाम इन्द्रपाल है। मधु, अजमेर व धीरेन्द्र ने घुसकर मुझे मारे पीटे है। मेरी खेती लिखा लिया है। खेत मेरे आदमी के नाम पर थी। पति ने अपना खेत मधु और पूजा के नाम पर बेचा है। बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। जिसका समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 कमलेश कुमार व पी0डब्लू0–2 अवलेश सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. में किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस./परिवाद में किये गये कथनों तथा परिवादिनी एवं साक्षियों के बयानों का सम्यक् ढंग से अवलोकन नहीं किया है और उपरोक्त उदघृत विभिन्न विधि व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रश्नगत् आदेश सही नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस निश्चित मत पर पहुंचता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया है। इसलिए प्रश्नगत् आदेश यथावत् रहने योग्य नहीं है और प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है और प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 20.02.2026 को खण्डित किया जाता है और विद्वान अवर न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैंः–

1. विद्वान अवर न्यायालय तलबी के बिन्दु पर निगरानीकर्ती/परिवादिनी को इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेषण के आलोक में पुनः सुनकर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

2. पत्रावली अविलम्ब अवर न्यायालय प्रेषित की जाए और निगरानीकर्ती/परिवादिनी अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक : 09.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 09.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.10 19:07:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court